

जिला-कैमूर आपको सूचित किया जाता है कि मेरे न्यायालय में स्वयं वाद दाखिल किया गया है, जिसमें नोटिस सम्मन के बावजूद भी आप जानबूझ कर हाजिर नहीं हो रहे हैं उक्त मोकदमा में अगली तिथि दिनांक 30.06.26 को समय 10.30 न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें, वरना आपके अनुरोधित में उचित आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 19.5.26 को न्यायालय के मोहोर को हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

सिविल जज
सीनियर डिविजन प्रथम

जिला-भूमना, जिला-कैमूर, मुदालय नं.-17 प्रशांकर दुबे पिता अमर प्रकाश दुबे निवासी मौज-सिकरी, थाना-भूमना, जिला-कैमूर, मुदालय नं.-18 जानकी देवी पति तेज बहादुर सिंह निवासी मौज-ओमरी, थाना-चैनपुर, जिला-कैमूर आपको सूचित किया जाता है कि मेरे न्यायालय में स्वयं वाद दाखिल किया गया है, जिसमें नोटिस सम्मन के बावजूद भी आप जानबूझ कर हाजिर नहीं हो रहे हैं उक्त मोकदमा में अगली तिथि दिनांक 12.6.26 को समय 10.30 न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें, वरना आपके अनुरोधित में उचित आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 29.05.26 को न्यायालय के मोहोर को हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

सिविल जज सीनियर डिविजन प्रथम,
कैमूर, भूमना

का गिरफ्तार के बाद भा उन्होंने अंजी के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और सात जून 1858 को सासाराम के गौरक्षणी मुहल्ले में उन्हें तोप के मूँह से बांधकर उड़ा दिया गया। इस दौरान उनके 12 अन्य क्रांतिकारी साथियों को भी मृत्युदंड दिया गया था। वक्तों ने सरकार से बाबू निशान सिंह के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने और उनके बलिदान को नयी पीढ़ी तक पहुंचाने की मांग की।

शराब के साथ एक मिष्टाना, चंद। थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5,040 लीटर विदेशी शराब बरामद की है तथा शराब सेवन के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा 28 बोलत बरामद शराब की मात्रा पांच लीटर बतायी गयी है, इस मामले में शराब सेवन के आरोप में लोहदन गांव निवासी कुंदन सिंह पटेल (41 वर्ष), पिता हरिहर सिंह पटेल को गिरफ्तार किया गया है।

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

...भारो से का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

(भारत सरकार का उपक्रम)
सर्किल ऑफिस सैम आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301
फोन नं.: 7407563366, ईमेल: cs8187@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वितीय आसिखों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आसिखों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), जमानदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि को वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "को कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। अर्थात् मूल्य और बचाना राशि संबंधित संघिखों के समने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/पारिषिक का नाम (सम्पत्ति(यों) का बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत मांग मुचका की तिथि ख) मांग मुचका के अनुसार बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कदम की तिथि। घ) कदम का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण
1.	पीएनबी-कबिलाशपुर (237400) कुशावाहा पोल्डी फोड, प्रो.-श्रीमती ज्योति देवी पति-ब्रिज मोहन कुशावाहा खाना नं. 2374008700000528 (उधारकर्ता) श्रीमती ज्योति देवी पति-ब्रिज मोहन कुशावाहा, आवासमय: ग्राम-लसारा, पोस्ट-छेवरी, थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर, पिन-821110 (जमानदार) 1. श्रीमती धर्मावती देवी, पति-श्री नागेन्द्र सिंह 2. श्रीमती मुगा देवी पति-राम कुमार सिंह 3. श्रीमती सुनिता देवी पति-राज कुमार सिंह 4. श्रीमती पुनिता देवी पति-सुरेश सिंह, सभी निवासी: ग्राम-लसारा, पोस्ट-छेवरी, जिला-कैमूर, भूमना, बिहार-821110.	जमीन अवस्थित है: भीमा-लसारा, जिला-कैमूर, थाना नं.-210, खाना नं.-23, प्लॉट नं.-286, रकबा-13 डिमिगल। डीड नं.-13176 तिथि 29.12.2001, घड़ीहरी उत्तर-छावर (वास्तविक रोड), दक्षिण-छेरी कुशावाहा, पूर्व-सड़क (रोड), पश्चिम-प्लॉट नं.-286 (प्लॉट नं.-286 का रोप धारा), बंधककर्ता: 1. श्रीमती धर्मावती देवी पति-श्री नागेन्द्र सिंह, 2. श्रीमती मुगा देवी पति-राम कुमार सिंह, 3. श्रीमती सुनिता देवी पति-राज कुमार सिंह, 4. श्रीमती पुनिता देवी पति-सुरेश सिंह, 5. श्रीमती ज्योति देवी पति-ब्रिज मोहन कुशावाहा, सभी निवासी: ग्राम-लसारा, पोस्ट-छेवरी, जिला-कैमूर, भूमना, बिहार-821110.	क) 06.03.2023 ख) रु. 30,60,791.01/- ग) आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क घ) 22.11.2023 ङ) रु. 45,67,808.01/- ग) आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क	क) रु. 11,70,000/- ख) रु. 1,17,000/- ग) रु. 50,000/-	23.06.2026 दोपहर 12:00 से सारं 04:00	ज्ञात नहीं

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों निम्नलिखित के अधीन होगी।
1. संघिखों "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संघिखों का विवरण प्रधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्रधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बिक्री अगोस्ताधरी द्वारा वेबसाइट <https://baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 23/06/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सारं 04:00 बजे तक की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbIndia.in देखें।
नोट:- बिबाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्रधिकृत अधिकारी